

# भूमि सुधार उप समाहर्ता का न्यायालय पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।

टी०ए० मिस केस सं०-91 / 2018-19

आदेश की तिथि	आदेश	आदेश पर की गई कार्रवाई के बाद टिप्पणी तारीख साथ
05.09.2018	<p>अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, मनोहरपुर का जांच प्रतिवेदन अप्राप्त है। जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु अंचल अधिकारी, मनोहरपुर को स्मारित करें। अगली तिथि <del>25.9.18</del> को निर्धारित की जाती है।</p> <p>अभिलेख <del>25.9.18</del> को उपस्थापित करें।</p> <p style="text-align: right;"><i>Devi</i> 25.9.18 भूमि सुधार उपसमाहर्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।</p>	
25.09.2018	<p>अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर के पत्रांक-1011 दिनांक-22.09.2018 द्वारा जांच प्रतिवेदन दिनांक 23.09.2018 को प्राप्त हुआ है। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर ने प्रतिवेदित किया है कि आवेदक <b>शशि भूषण प्रमाणिक</b>, पिता <b>स्व० गंगाधर प्रमाणिक</b>, जाति-<b>नाई (अ०पि०वर्ग०)</b>, ग्राम-<b>कोलचोकड़ा</b>, पो०+थाना <b>चक्रधरपुर</b>, जिला प० <b>सिंहभूम</b> ने छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(प) प्रोमिजो "ए"/"बी" के अन्तर्गत भूमि हस्तांतरण हेतु आवेदन पत्र दिया है। खतियानी जमीन मौजा-<b>श्यामरायडीह</b>, थाना नं०-<b>646</b>, खाता नं० <b>30</b>, प्लॉट नं० <b>150</b>, रकवा:-<b>03 डि 40 वर्गकड़ी</b> क्रेता <b>श्री परेश महतो</b>, पिता-<b>श्री जगदीश महतो</b>, जाति-<b>कुर्मी (अ.पि.वर्ग.)</b>, ग्राम-<b>सिमिदिरी</b>, पो०-<b>हथिया</b>, थाना-<b>चक्रधरपुर</b>, जिला- <b>प० सिंहभूम</b> के पास बिक्री करना चाहते हैं। दोनों पक्षों को सूचना निर्गत किया गया एवं आम इश्तेहार किया गया।</p> <p>जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से पता चलता है कि बिक्री की जानेवाली जमीन आवेदक <b>श्री परेश महतो</b>, पिता <b>श्री जगदीश महतो</b>, जाति-<b>कुर्मी(अ०पि०वर्ग०)</b>, ग्राम-<b>श्यामरायडीह</b>, थाना <b>चक्रधरपुर</b>, जिला प० सिंहभूम के दखल कब्जे में है तथा अपने हक के ही जमीन को क्रेता के पास बेचना चाहते हैं। आम इश्तेहार एवं नोटिस तामिला प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित जमीन को बेचे जाने पर किसी भी व्यक्ति के द्वारा आजतक किसी भी प्रकार की आपत्ति इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है। तामिला प्रतिवेदन अभिलेख के साथ संलग्न है।</p> <p>बिक्रेता एवं क्रेता थाना-<b>चक्रधरपुर</b>, जिला-<b>प० सिंहभूम</b> के निवासी हैं। विक्रेता का जाति <b>कुर्मी (अ.पि.वर्ग.)</b> एवं क्रेता का जाति <b>कुर्मी (अ.पि.वर्ग.)</b>, समुदाय के सदस्य है।</p> <p>विक्रेता उक्त वर्णित भूमि चिकित्सा हेतु बेचना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि के बिक्री के पश्चात विक्रेता को <b>चक्रधरपुर</b> अंचल अंतर्गत रकवा <b>3.26.173 ए०</b> अवशेष भूमि बचता है। अंचल अधिकारी, <b>चक्रधरपुर</b> द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन तथा आम इश्तेहार पर आपत्ति प्राप्त नहीं होने के फलस्वरूप आवेदक/आवेदिका को अपने हक एवं दखल की उपरोक्त जमीन क्रेता <b>श्री परेश महतो</b> पिता-<b>श्री जगदीश महतो</b>, जाति-<b>कुर्मी (अ.पि.वर्ग.)</b>, ग्राम-<b>सिमिदिरी</b>, पो०- <b>हथिया</b>, थाना-<b>चक्रधरपुर</b>, जिला- <b>प० सिंहभूम</b> को उक्त भूमि बेचने की स्वीकृति छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 46(i) प्रोमिजो "ए"/"बी" के अन्तर्गत दी जाती है।</p> <p>आदेश की प्रति पक्षकार को उपलब्ध करायें।</p> <p style="text-align: center;">लेखापित <i>Devi</i> 25.9.18 भूमि सुधार उपसमाहर्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर</p> <p style="text-align: right;"><i>Devi</i> 25.9.18 भूमि सुधार उपसमाहर्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर</p>	